प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–महोबा, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / महोबा / 2024–25 / 2362 दिनांकः 26-07-2024

विषयः–राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 27–30 जून 2024 के मध्य किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2024-25/18/1627-2, दिनॉकित 21.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक **27–30 जून 2024 के आपके** जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय दल के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दौरान आपके जनपद की चिकित्सा इकाईयों के प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरी को आगामी 15 कार्यदिवस में अपनी आख्या / कृत कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

26/7/24

(धीरेन्द्र सिंह सचान)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–**एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / महोबा / 2024–25 /** तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद महोबा।
3. वित्त नियत्रक, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, चित्रकूट, उ0प्र0।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, चित्रकूट उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, महोबा, उ0प्र0 को पर्यवेक्षण रिपोर्ट के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु प्रेषित।

(डा0 लक्ष्मण सिंह)
महाप्रबंधक–एन.सी.डी.

भ्रमण आख्या

जनपद–महोबा

भ्रमण अवधि– दिनांक 27.06.2024 से 30.06.2024

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद महोबा का दिनांक 27 से 30 जून 2024 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है–

राज्य स्तरीय टीम

1. डा0 लक्ष्मण सिंह, महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0।
2. श्री बिशम्भर दयाल, परामर्शदाता–मानव संसाधन, मातृ स्वास्थ्य।
3. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन।

भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयाँ–

जनपद मुख्यालय– जि0पु0चि0, जि0म0चि0, नगरीय प्रा0स्वा0के0–भटीपुरा।

ब्लाक कबरई– सी0एच0सी0 कबरई एवं सी0एच0सी0 श्रीनगर।

ब्लाक चरखारी– एफ0आर0यू0–सी0एच0सी0 चरखारी, प्रा0स्वा0के0 एवं मुख्यालय उपकेन्द्र, खरेला, आयुष्मान आरोग्य मन्दिर सबुआ।

समीक्षा बैठक व अभिमुखीकरण–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जनपद स्तरीय अधिकारी, डी0पी0एम0, डैम, समस्त कार्यक्रम के कन्सलटेण्ट, डी0आई0सी0 मैनेजर, एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 मैनेजर, अरबन कोआर्डिनेटर, चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी, डी0एम0एच0सी0, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक।
2. कबरई में आशाओं के साथ मीटिंग व अभिमुखीकरण।

मुख्य बिन्दु व किये गये सहयोत्मक कार्य

जनपद में भ्रमण की गई चिकित्सा इकाईयों के अवलोकनोपरान्त सुधारात्मक मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं–

- जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी(कन्सल्टेन्ट, समन्वय)एवं द्वारा अपने दायित्वों का निर्वान्हन नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण का सुधारात्मक कार्य नहीं किये जा रहें है एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- जनपद में ब्लाक स्तर पर विभिन्न मदों में लाभार्थी, आशा, सी0एच0ओ0 को किये जा रहे भुगतान के अभिलेखो का परीक्षण करने पर भिन्नता पायी गयी।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों पर समस्त मानव संसाधन का ड्यूटी रोस्टर बनाने व डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयों में ब्लाक स्तर पर कार्यरत स्टाफ निर्धारित समय पर नहीं आ रहे हैं।
- जनपद में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाला भोजन चयनित संस्था द्वारा नियमित रुप से मानकानुसार प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- जिला महिला चिकित्सालय में 102 एम्बुलेन्स के रिकार्ड का परीक्षण करने पर पाया गया कि एम्बुलेन्स के पी0सी0आर0 रजिस्टर में लाये हुये मरीज का रिकार्ड अंकित है, परन्तु चिकित्सालय में उसका पंजीकरण नही है।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के परिसर मे साफ–सफाई व्यवस्था, आई0ई0सी0, बोर्ड एवं साइनेज, एरोमार्क, ई0डी0एल0, डयूटी रोस्टर, पेयजल एवं शौचालय में प्रकाश ब्यवस्था आदि असंतोषजनक पायी गयी, सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित कर्मी को जानकारियाँ प्रदान की गई। कुछ कार्य अपनी देखरेख में करा दिये गये एवं शेष कार्यो को कराने के लिये कहा गया।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के परिसर मे विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले नहीं थी। जनपद स्तर से केन्द्रीयकृत आई0ई0सी0 मॅंगाकर यथास्थान डिस्प्ले कराने का सुझाव गया।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के स्टोर रुम, वार्ड आदि समस्त कमरों को खुलवाया गया व उपयोग किये जाने वाले उपकरणों, रजिस्टर्स आदि को सम्बन्धित कर्मियों को उपलब्ध कराने व निष्प्रोज्य एवं निष्क्रिय सामग्रियों को नियमानुसार डिस्पोजआफ करने का सुझाव दिया गया तथा समस्त प्रभारियों को समस्त कक्ष खुलवाकर देखने हेतु अवगत कराया गया।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों के फार्मेसी में एक्सपायरी रजिस्टर, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट के प्रोटोकाल फॉलो करते हुए रैक आदि में सामग्रियों को रखवाया गया तथा नियमित रुप से लेबलिंग करने व ई0डी0एल0 अपडेट करने का सुझाव दिया गया।

- जे0एस0वाई0, पी0ओ0 एल0, लाभार्थी, प्रेरक एवं आशाओं के विभिन्न मदों के भौतिक एवं वित्तीय रिकार्ड का मिलान कराया गया तथा पेण्डिंग भुगतान में से कुछ भुगतान कराये गये तथा शेष प्रक्रियाधीन है।
- बायोमेडिकल वेस्ट, अग्नि शमनं यंत्र प्रयोग आदि सहित विभिन्न सेवाप्रदाताओं व अन्य स्टाफ का सम्बन्धित विषय पर क्षमतावर्द्धन कराने का सुझाव दिया गया।
- रिकार्ड कीपिंग ठीक से नहीं की जा रही है। भ्रमण के दौरान जानकारियॉ प्रदान कर रिकार्ड ठीक करने व समस्त सूचनाओं को अंकित करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई एवं सम्बन्धित कर्मियों के रिकार्ड अपडेट कराये गये। जनपद स्तर से प्रिण्टेड रजिस्टर सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयो पर आवश्यकतानुसार भेजने का सुझाव दिया गया।
- नसबन्दी की सेवायें प्राप्त लाभार्थियों के प्रमाणपत्र का वितरण नहीं किया गया था तथा रिकार्ड भी सही तरीके से नहीं भरवाये गये थे। रिकार्ड सही करवाये गये तथा अधिकांश लाभार्थियों का प्रमाणपत्र वितरित कराया गया। अन्तरा इन्जेक्शन कार्ड की फाइलिंग सही करायी गयी।
- भ्रमण किये गये सभी चिकित्सा इकाईयों पर विभिन्न कार्यक्रमों पर सम्बन्धित स्टाफ का क्षमतावर्द्धन भी किया गया।
- चिकित्सा इकाईयों के प्रसव कक्ष में शत प्रतिशत बर्थ डोज नहीं लगाये जा रहे हैं।
- वयस्कों का टी0बी0 स्कीनिंग हेतु रेफरल भी मानकानुसार 05 से 10 प्रतिशत ओ.पी.डी. का होना चाहिए जबकि चिकित्सा इकाईयों पर रेफरल काफी कम है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर एन.सी.डी. स्क्रीनिंग सी. एच.ओं. द्वारा आशावाईज रोस्टर बनाकर वाह्य रोगियों का शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। आशाओं का रोस्टर बनाकर स्कीनिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – कबरई</u>

- चिकित्सा इकाई परिसर मे साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।
- विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 यथास्थान डिस्प्ले नहीं पाया गया एवं वेटिंग एरिया में एल.ई. डी. टी.वी. पर प्रचार प्रसार सम्बन्धित आई.ई.सी. को संचालित नही किया जा रहा था।
- ई0डी0एल0 नियमित रुप से अद्यतन नही हो रहा है। फार्मेसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। फार्मासिस्ट को डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
- चिकित्सा इकाई में चिकित्सा सम्बन्धी समस्त अभिलेख अपडेट नहीं किये जा रहे हैं। जैसे प्रसव कक्ष, एन. बी.एस.यू. यूनिट, पंजीकरण काउन्टर, ओ.पी.डी. आदि।
- ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन के साथ सभी ए.एन.सी. महिलाओं को एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित नही किया जा रहा था। ए.एन.सी. एवं काउन्सलिंग के प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे व नियमित रुप से भरे भी नहीं जा रहे हैं। एच.आर.पी. स्कीनिंग भी सही प्रकार से नहीं की जा रही है। एच.आर.पी. चिन्हीकरण एवं फॉलोअप बहुत कम है। चिन्हीकरण एवं रिकार्ड कीपिंग में सुधारात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।
- जनपद में ब्लाक हेतु कमिटेड धनराशि किस आधार पर की गयी है इसके सम्बन्ध में सम्बन्धित ब्लाक लेखा प्रबन्धक के पास कोई अभिलेख अथवा स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं था एवं न ही अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को इस सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी थी। ब्लाक हेतु जनपद द्वारा रु0 21.32 लाख कमिटेड कराया गया है, परन्तु ब्लाक स्तर पर कमिटेड धनराशि रु0 21.75 लाख पायी गयी जो कि जनपद द्वारा कमिट करायी गयी धनराशि से रु0 43,000 अधिक हैं। इसी प्रकार जे.एस.एस.के अन्तर्गत प्रसूताओं के भोजन भुगतान हेतु रु0 36,000 कमिट कराया गया है परन्तु लम्बित भुगतान रु0 26,900 ही है। इसी प्रकार जेनरेटर पी.ओ.एल. मद में रु0 51,790 कमिट कराया गया है, परन्तु अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि लम्बित भुगतान लगभग रु0 1,30,000 है। इससे प्रतीत होता है कि वित्तीय अभिलेख में काफी कमियॉ हो सकती है।
- डाइट रजिस्टर भी सही प्रकार से नहीं भरे गये थे, सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सत्यापित भी नहीं थे व भुगतान भी पेण्डिंग था। भ्रमण के दौरान भुगतान बिल के सपोर्टिंग डाक्यूमेण्ट संलग्न नहीं थे।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। इन्फेक्शन रोकथाम यथा Speel Management, मरकरी मैनेजमेन्ट उपकरणों का स्ट्रालाईजेशन सम्बधी लॉगबुक मैन्टेन नही किया जा रहा है।
- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आशा, लाभार्थियों एवं सर्विस प्रोवाइडर का भुगतान लम्बित हैं। कमिटेड के भुगतान की गलत बुकिंग पायी गयी। भुगतान एवं उपलब्ध डाटा में समानता नहीं पायी गयी। वित्तीय वर्ष

2023–24 के जे.एस.वाई. लाभार्थियों में से 96 लाभार्थियों का भुगतान पेण्डिंग था। सी.एच.ओ. के टी.ए. / डी.ए. का भुगतान लम्बित पाया गया।

- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन हैण्डर के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया।
- ई–कवच एप, मंत्रा एप पर सम्बन्धित स्टाफ व आशाओं द्वारा ई–कवच में गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं मानकानुसार फीडिंग नहीं की जा रही है। समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं की ई–कवच एप पर रिओरिएण्टेशन की आवश्यकता को जनपद स्तर से पूर्ण किया जाये।
- कबरई में आशाओं के बैठक में प्रतिभाग किया गया। आशाओं को योजनाओं की सही व पूर्ण जानकारी नहीं है। आशा डायरी का रिकार्ड अपडेट नहीं पाया गया। ब्लाक पर आशाओं को बुलाकर अपडेट करवाने का सुझाव दिया गया।

जिला महिला चिकित्सालय

- चिकित्सा इकाई में चिकित्सा सम्बन्धी समस्त अभिलेख अपडेट नहीं किये जा रहे हैं। जैसे प्रसव कक्ष, एन.बी.एस.यू. यूनिट, पंजीकरण काउन्टर, ओ.पी.डी. आदि।
- ए.एन.सी. रजिस्टर में गर्भवती महिलओं की एच.आर.पी. स्क्रीनिंग मानकानुसार दर्ज नही की जा रही है तथा चिन्हित एच.आर.पी. महिलाओं का फॉलोअप भी नहीं किया जा रहा है।
- सभी स्टाफ नर्स PPIUCD विधा में प्रशिक्षित हैं। परिवार नियोजन से सम्बंधित डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं किया जा रहा हैं जिसे ठीक करने तथा HMIS में फीड करने का सुझाव दिया गया। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 के लाभार्थियों का फालोअप भी कम है। सम्बन्धित स्टाफ को पी0पी0आई0यू0सी0डी0 के शत प्रतिशत लाभार्थियों का फालोअप करने का सुझाव दिया गया।
- सम्बन्धित स्टाफ को अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज लगवाने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने हेतु लाभार्थियों को सलाह देने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम स्टाफ से वार्ता के दौरान पाया गया कि मांग पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी स्टोर से ससमय एवं पर्याप्त मात्रा में सामग्री की उपलब्धता नही करायी जा रही है। रियल टाइम पार्टोग्राफ नही बनाये जा रहे थे।
- मंत्रा एप्लीकेशन पर रिकार्ड को पूर्ण नही किया जा रहा था। प्रसव पंजिका में पेसेन्ट डिस्चार्ज की इण्ट्री नहीं की जा रही है।
- परिवार नियोजन काउन्सलिंग कक्ष प्रथम तल पर स्थापित होने के कारण ए0एन0सी0 व लेबर रुम की काउन्सलिंग प्रभावित हो रही है। काउन्सलिंग कक्ष में परिवार नियोजन की सहायक सामग्रियॉ व आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। फैमिली प्लानिंग काउन्सलर के द्वारा रिकार्ड पूर्ण रुप में अंकित नही किया जा रहा था। परिवार नियोजन काउन्सलर को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराते हुए ए.एन.सी. व प्रसव कक्ष के समक्ष परिवार नियोजन काउन्सलिंग कक्ष स्थापित कराने का सुझाव दिया गया।
- एस.एन.सी.यू. में बेबी भर्ती सूचना पंजिका पूर्ण रुप से नहीं भरी जा रही है तथा इनबार्न पेसेण्ट ही भर्ती पाये गये।
- जिला महिला चिकित्सालय में 102 एम्बुलेन्स के रिकार्ड का परीक्षण करने पर पाया कि एम्बुलेन्स के पी0सी0आर0 रजिस्टर में लाये हुये मरीज का रिकार्ड अंकित है परन्तु चिकित्सालय में उसका पंजीकरण नही है। रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी।

- कई मरीजों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में प्रसव कराने के रू0 2000 तक आशा के माध्यम से सुविधा शुल्क लिया जा रहा है, जिस पर पूछताछ करने पर आशा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफनर्स एवं वार्ड आया द्वारा सुविधा शुल्क की मॉग की जाती है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) के साथ बैठक व फीडबैकः–

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) डा0 एस.पी.सिंह के साथ बैठक कर निम्न फीडबैक दी गई–

- परिवार नियोजन काउन्सलिंग कक्ष ए0एन0सी0 व लेबर रुम के पास पूर्व की भॉति स्थापित कराने का सुझाव दिया गया। उक्त के सन्दर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र उचित स्थान पर परिवार नियोजन काउन्सलिंग कक्ष स्थापित करा दिया जाएगा।
- जिला महिला चिकित्सालय में लाभार्थियों द्वारा की गई शिकायत से भी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराया गया तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न होने पाये इस हेतु रणनीति बनाने का सुझाव दिया गया।
- पी0पी0आई0यू0सी0डी0 व अन्तरा के कार्ड उपलब्ध नहीं थे तथा सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमित रुप से नहीं किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त भुगतान शीघ्र करा दिये जायेंगें।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) से पी0पी0आई0यू0सी0डी0 व अन्तरा के सेवाप्रदाताओं की मासिक समीक्षा करने का सुझाव दिया गया जिससे उपलब्धि बढ़ायी जा सके।
- कण्डोम बाक्सेज नियमित रुप से भरवाने तथा परिवार नियोजन काउन्सलर को प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त भुगतान शीघ्र करा दिये जायेंगें तथा परिवार नियोजन काउन्सलर को प्रिण्टेड रजिस्टर शीघ्र ही उपलब्ध कराये जायेंगें।

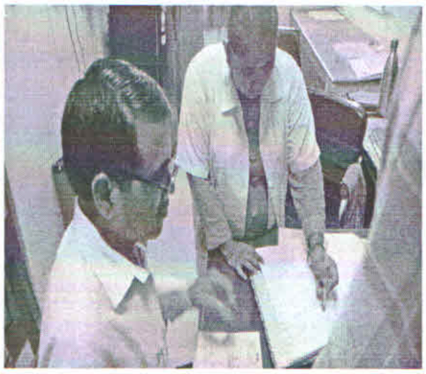

जिला पुरुष चिकित्सालय

- चिकित्सालय परिसर के किसी भी एरिया में कण्डोम बाक्स नहीं लगा था। कण्डोम बाक्सेज लगवाने तथा परिवार नियोजन सेवाओं को भी प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया। अप्रैल से भ्रमण तिथि दिनांक 28.06.2024 तक कोई भी पुरुष नसबन्दी नही की गई है।
- परिवार नियोजन सामग्रियों के मॉग, वितरण व प्रबन्धन हेतु एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल पर नियमित इण्ट्री नहीं की जा रही है।
- एन.आर.सी. में सिर्फ इनडोर पेसेण्ट रेफरल ही आ रहे हैं। आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा रेफर नहीं किया जा रहा है तथा बेड आक्यूपेन्सी कम है। भ्रमण के दौरान मात्र 05 बेड पर ही लाभार्थी मौजूद थे। रिकार्ड अवलोकन से संज्ञानित हुआ कि बेड आक्यूपेन्सी मात्र 67 प्रतिशत है।
- राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत वयस्कों की टी0बी0 रेफरल व स्क्रीनिग काफी कम पायी गयी।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – भटीपुरा

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी। परिसर व कक्ष साफ–सुथरे पाये गये। भवन की ब्राण्डिंग है।
- आई0ई0सी0 उपलब्ध थे। परन्तु समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पर्याप्त नहीं थे। अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।
- ओ0पी0डी0 में आयुष चिकित्सक मौजूद थे। ओ0पी0डी0 में मरीजों की संख्या कम थी जिसे बढ़ाने तथा प्रिण्टेड ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर समस्त आवश्यक सूचनायें भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- रिकार्ड मेण्टेन था। स्टोर में उपलब्ध दवाईयॉ व उनके वितरण का रिकार्ड मैच नहीं कर रहा था।
- गर्भनिरोधक सामग्रियों का वितरण कम है। अन्तरा इन्जें0, फ्री सप्लाई गर्भ निरोधक यथा ओ0सी0,ई0सी0 पिल्स एवं कन्डोम, आई0यू0सी0डी0, प्रेगनेन्सी टेस्ट किट आदि की उपलब्धता व वितरण अपडेट रखने का सुझाव दिया गया। प्रशिक्षित सेवाप्रदाताओं द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की सेवायें नियमित रुप से प्रदान नही की जा रही हैं।
- कन्डोम बॉक्स खुले स्थान पर लगाया गया है जिससे गर्भनिरोधक सामग्रियॉ खराब हो रही थीं। कवरड एरिया में लगवाया गया।
- बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।
- हाई रिस्क प्रेगनेन्सी की स्क्रीनिंग मानकानसुार काफी कम है।
- चिकित्सा इकाई प्रसव इकाई के रुप में चिन्हित है, किन्तु प्रसव नहीं कराये जा रहे हैं। प्रसव प्रारम्भ कराने का सुझाव दिया गया।

एफ.आर.यू. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–चरखारी

- चिकित्सा इकाई परिसर मे साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाया गया।
- आर.बी.एस.के. टीमों के रिकार्ड व लागबुक में काफी त्रुटियॉ पायी गयीं। रिकार्ड भरे जाने के नाम पर मात्रा खानापूर्ति की जा रही है। लागबुक की मीटर ओपेनिंग, क्लोजिंग, वाहनसंख्या आदि से सम्बन्धित सूचनायें लागबुक में नहीं भरी गयी थीं तथा लागबुक का चिकित्सा इकाई प्रभारी से सत्यापन भी नहीं कराया गया था। इसी प्रकार स्कूल व आंगनाबाड़ी केन्द्र भ्रमण रिकार्ड पुस्तिका में सिर्फ बच्चों का नाम, उम्र, वजन मात्र किलो में व लम्बाई की सूचना भरी गयी थी, शेष समस्त कालम खाली थे तथा प्रधानाध्यापक व आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सत्यापन भी नहीं कराया गया था।
- चिकित्सा इकाई के स्टाफ पूर्व के दिवस में उपस्थित तो रहे किन्तु उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति नही पायी गयी। प्रतिदिन समय से उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने की आदत नहीं है।
- ई0डी0एल0 नियमित रुप से अद्यतन नही हो रहा है। फार्मेसी में औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी।
- प्रसव कक्ष में रिकार्ड बनाये गये है और भरे जा रहे हैं, परन्तु इनमें सही जगह पर सही रिकार्ड को अंकित नही किया जा रहा था, इस सम्बन्ध में सभी स्टाफ को बताया गया। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी की स्क्रीनिंग मानकानसुार काफी कम है व रजिस्टर में एच.आई.वी., सिफलिस स्क्रीनिंग व प्रीवियस केस हिस्टरी आदि की सूचनायें नहीं भरी गयी थीं।
- डाइट रजिस्टर भी सही प्रकार से नहीं भरे गये थे, सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सत्यापित भी नहीं थे व भुगतान भी पेण्डिंग था।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। इन्फेक्शन रोकथाम यथा Speel Management, मरकरी मैनेजमेन्ट उपकरणों का स्ट्रालाईजेशन सम्बधी लॉगबुक मैन्टेन नही किया जा रहा।

- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आशा, लाभार्थियों एवं सर्विस प्रोवाइडर का भुगतान लम्बित हैं। भुगतान एवं उपलब्ध डाटा में समानता नहीं पायी गयी।
- कोल्ड चेन कक्ष में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड सत्यापन में अन्तर पाया गया। कोल्ड चेन में नसबन्दी लाभार्थियों की भरी हुई 07 रिकार्ड बुक पायी गयीं जिन्हें ब्लाक लेखा प्रबन्धक को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराते हुए सही तरीके से रिकार्ड रखने का सुझाव दिया गया।
- ईकवच एप, मंत्रा एप पर सम्बन्धित स्टाफ व आशाओं द्वारा मानकानुसार फीडिंग नहीं की जा रही है।

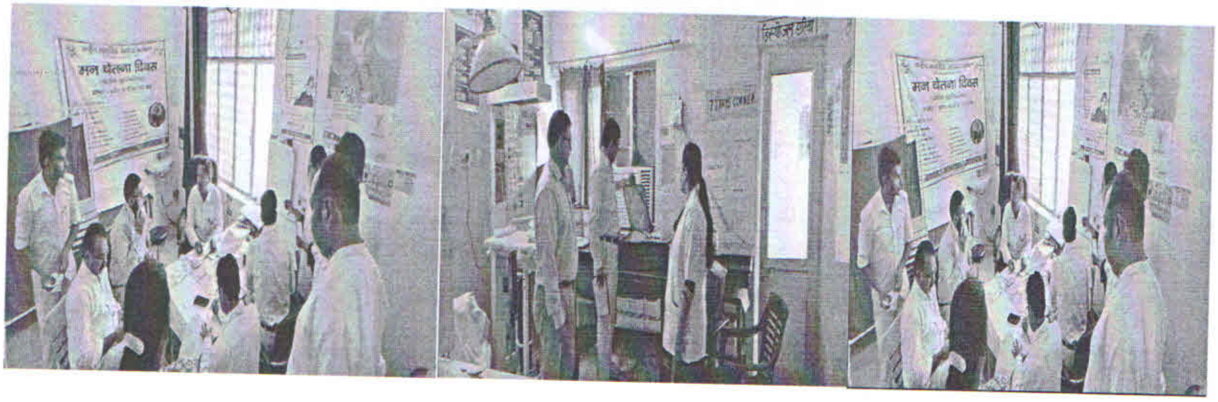

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

ग्राम– सबुआ, ब्लाक–चरखारी

सी0एच0ओ0.–सुश्री अरुन्धती दास

- भवन में मानकानुसार उपकरण, फर्निचर, रनिंग वाटर, इलेक्ट्रीसिटी बैकअप व दवाईयों की उपलब्धा पायी गयी। भवन पर आरोग्य केन्द्र पट्टिका लगी है। बाउण्ड्री वाल नहीं है। मरीजों के जॉच हेतु प्राइवेसी की व्यवस्था नहीं है।
- सी0एच0ओ0 का लैपटाप उपलब्ध नहीं था। सी0एच0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाईल फोन में सूचनाओं की फीडिंग की जाती है।
- एन.सी.डी. स्क्रींनिंग किया जा रहा था जो लक्ष्य से काफी कम है। आगामी माह में लक्ष्य पूर्ण किये जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये एवं आशा के माध्यम से रोस्टर बनाकर स्क्रीनिंग कराने का सुझाव दिया गया।
- रिकार्ड कीपिंग संतोषजनक था। सेवाओं सम्बन्धी समस्त रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। ओ0पी0डी0 रजिस्टर की सूचनायें भरी गयी थीं।

सामुदायिक गतिविधियॉं : ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र।

ग्राम– खरेला, ब्लाक–चरखारी

ए.एन.एम.–श्रीमती दिलनाशी, आशा– राधिका सिंह

टीम द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र का अवलोकन किया गया। सामुदायिक स्तर की गतिविधियों के आकलन हेतु टीम द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप विभिन्न विधाओं के सेवाप्राप्त लाभार्थियों से सम्पर्क किया गया।

- ए.एन.एम.को पर्याप्त जानकारी का अभाव था।

- सत्र स्थल पर ऑगनबाड़ी कार्यकत्री मौजूद नहीं थी।
- ए0एन0सी0 चेक अप हेतु स्थान उपलब्ध नहीं था।
- ए0एन0सी0 एवं0 पी0एन0सी0 चेक अप की व्यवस्था नही थी।
- हाई रिस्क प्रेगनेन्सी रजिस्टर उपलब्ध था किन्तु अपडेटेड नहीं था। प्रसूति रिकार्ड, लक्षित दम्पत्ति सूची, आदि उपलब्ध नहीं पायी गयी।
- सत्र स्थल पर गर्भनिरोधक सामग्री उपलब्ध थीं। गर्भनिरोधक सामग्रियॉ दिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में थीं, लेकिन वितरण नहीं किया गया था।
- कुपोषित बच्चों के परीक्षण के लिये एम0यू0ऐ0सी0 टेप उपलब्ध नहीं था।
- ए0एन0एम0 को एन0आर0सी0 के बारे में जानकारी नहीं थी।

आयुष्मान आरोग्य मेला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – श्रीनगर, ब्लाक – कबरई

- इकाई पर साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी। परिसर में बागवानी की गई है। स्टेट टीम द्वारा भी 06 वृक्षों का वृक्षारोपण भी किया गया।
- आयुष्मान आरोग्य मेले में विभिन्न सेवाओं के स्टाल लगे थे। भ्रमण के समय आयुष्मान आरोग्य मेले में 14 लाभार्थियों का पंजीकरण कर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई थीं।
- शिकायत पेटिका से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नही पाये गये और शिकायत पेटिका लम्बे समय से बन्द प्रतीत हो रही थी।
- डेड स्टाक रजिस्टर मे फार्मासिस्ट के द्वारा अभी तक किसी भी सामग्री को खारिज नही दर्शाया गया था।
- स्टोर रुम में औषधियों की लेवलिंग नही की गयी थी।
- चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 को ए0सी0डी0 / सी–बैक के विषय में कोई जानकारी नही थी।
- स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव कराया जा रहा था। प्रसव कक्ष में डिलीवरी रजिस्टर 2022 से पुराना प्रयोग में लाया जा रहा है। ए0एन0सी0, एडमीशन, रेफरल रजिस्टर इत्यादि प्रिन्टिड नहीं थे। स्टाफनर्स द्वारा बताया गया कि प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं आने वाले उच्च अधिकारियों को बताया गया है परन्तु अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुये है।
- प्रसव कक्ष के बाहर शू रैक नहीं था। प्रसव कक्ष में स्टाफ व अटेण्डेण्ट जूते चप्पल पहनकर मौजूद थे।
- रेफरल से सम्बन्धित रिकार्ड मानकानुसार नही बनाये जा रहे थे।
- भर्ती प्रसूता पूजा पत्नी हरिनारायण, निवासी श्रीनगर को पी.पी.आई.यू.सी.डी. लगा हुआ दिखाया गया था, जबकि जॉच में पाया गया कि उक्त महिला को पी.पी.आई.यू.सी.डी. नहीं लगाया गया था।

<u>मुख्य चिकित्साअधिकारी कार्यालय में वित्तीय व भौतिक समीक्षा बैठक व फीडबैक</u>

दिनांक 29.06.2024 को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी सभागार में सायं 4.00 बजे से मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय अधिकारियों, विभिन्न कार्यक्रमों के सलाहकार व जिला तथा ब्लाक के चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों व कार्यक्रम प्रबन्धकों के साथ बैठक किया गया व भ्रमण में पायी गयी बिन्दुवार कमियों एवं भ्रमण दल द्वारा मौके पर दी गयी सहयोग से अवगत कराते हुए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी।

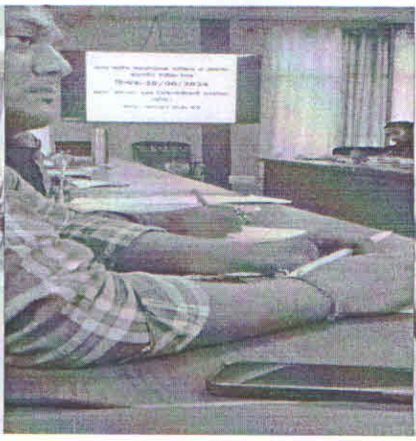

<u>भ्रमण के अन्तिम दिवस मुख्य चिकित्साअधिकारी कार्यालय में स्टेट टीम द्वारा निम्न सुझाव दिये गये</u>

- राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण की गई चिकित्सा इकाईयों का फीडबैक साझा किया गया।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह वित्तीय व भौतिक प्रगति समीक्षा करने का सुझाव दिया गया। ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए।
- जनपद स्तर से समस्त स्वास्थ्य इकाईयों (शहरी व ग्रामीण) पर मुद्रित समस्त रजिस्टर, प्रपत्र, फालोअप कार्ड्स, वाउचर्स, प्रमाणपत्र व आई0ई0सी0 सामग्री पोस्टर्स, पम्पलेट्स के साथ दीवार लेखन हेतु अपडेटेड आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- डायट रजिस्टर व आर.बी.एस.के. टीमों के रिकार्ड सही प्रकार से भरे जाने व सम्बन्धित चिकित्सा इकाई प्रभारी से सत्यापित कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का सुझाव दिया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे0एस0वाई0 भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय बच्चे के जन्म का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये व जे0एस0वाई0 भुगतान ससमय कराया जाये। शत प्रतिशत बर्थ डोज लगाये जायें।
- सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम आवश्यकतानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ससमय अधिकतम व्यय किया जाना। रोजाना भुगतान तथा लेखांकन किये जाने का अनुरोध किया गया।
- जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियमित क्षेत्र भ्रमण का सुधारात्मक कार्य किये जायें व प्रत्येक स्तर पर मानीटरिंग की जाये।
- एन.आर.सी. में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु रणनीति तय की जाये तथा वयस्कों का टी.बी. स्क्रीनिंग हेतु रेफरल सुनिश्चित किया जाये तथा शीघ्र निदान कर चिन्हित टी.बी. मरीजों का इलाज शुरु किया जाये एवं सम्पूर्ण अवधि तक इलाज की निरन्तरता बनाये रखा जाये। जिससे रोगी शीघ्र रोगमुक्त हो सके। माहवार डी.बी.टी. का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें तथा निःक्षय मित्र के माध्यम से रोगी व्यक्ति को गोद लेकर पोषण किट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा टीम को आश्वस्त किया गया कि टीम द्वारा भौतिक,वित्तीय, क्वालिटी आदि के परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सुझाव/निर्देशों को अग्रिम माह के भ्रमण के पूर्व यथा सम्भव मानकों के अनुरुप संशोधित/उच्चीकृत कर दी जाएंगी।

(अखिलेश श्रीवास्तव)	(विशम्भर दयाल)	(डा0 लक्ष्मण सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक, प0नि0	कन्सलटेण्ट, मातृ स्वास्थ्य	महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–महोबा, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / महोबा / 2024–25 / दिनांकः 26-07-2024

विषयः–राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 27–30 जून 2024 के मध्य किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2024-25/18/1627-2, दिनॉकित 21.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक **27–30 जून 2024 के आपके** जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय दल के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दौरान आपके जनपद की चिकित्सा इकाईयों के प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरी को आगामी 15 कार्यदिवस में अपनी आख्या / कृत कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

(धीरेन्द्र सिंह सचान)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / महोबा / 2024–25 / 2362-6 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद महोबा।
3. वित्त नियत्रक, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, चित्रकूट, उ0प्र0।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, चित्रकूट उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, महोबा, उ0प्र0 को पर्यवेक्षण रिपोर्ट के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु प्रेषित।

(डा0 लक्ष्मण सिंह)
महाप्रबंधक–एन.सी.डी.